2025:CGHC:45637

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 288/2016

पंकज राम, पिता जीतन राम, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी – ग्राम आजधा, थाना – आस्था, जिला – जशपुर, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी, थाना – जशपुर, जिला – जशपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थी

(वाद शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री संजीव कुमार साहू, अधिवक्ता की ओर से श्री खेमचंद प्रजापति, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री शैलेन्द्र शर्मा, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश द्वारा

08/09/2025

यह अपील भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 64/2015 में दिनांक 09/02/2016 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹1000/– के अर्थदण्ड, व्यतिक्रम सशर्त दण्डित किया गया है।

वर्तमान प्रकरण में कुल दो अभियुक्त थे, जिनमें से एक अभियुक्त किशोर था, अतः उसका विचारण पृथक रूप से किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया गया। उक्त तथ्य आक्षेपित निर्णय के कण्डिका 3 से स्पष्ट होता है।

1. अभियोजन की अभियोक्त्री (अ.सा.–10) थाना जशपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि दिनांक 20/04/2015 को लगभग सायं 7:30 बजे, वह अपनी सहेलियों के साथ

फैंटस नामक व्यक्ति के निवास पर आयोजित 'छट्ठी' कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी। वह लगभग 8:30 बजे तक वहाँ रही, तदोपरांत उसने घर लौटने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि उसकी सहेली ने कुछ समय और रुकने का सुझाव दिया, तथापि उसने अकेले ही घर जाने का निर्णय लिया। रास्ते में, एक महुआ के पेड़ के पास, उसे विधि से संघर्षरत बालक ने रोक लिया, बलपूर्वक उसका हाथ पकड़कर उसे आम के पेड़ के नीचे ले गया तथा उसके प्रतिरोध के बावजूद उसके साथ बलात्संग किया। तत्पश्चात, विधि से संघर्षरत बालक उसे अपने मित्र पंकज (अपीलार्थी) के घर ले गया, जहाँ उसे पूरी रात परिरोध में रखा गया।

अगली सुबह, दिनांक 21/04/2015 को लगभग प्रातः 7:30 बजे, जब अभियोक्त्री की नींद खुली तो उसने पाया कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। लगभग 10:30 बजे, विधि से संघर्षरत बालक एवं अपीलार्थी वापस आए, किंतु जैसे ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अभियोक्त्री के पिता वहाँ आ रहे हैं, उन्होंने पुनः घर को बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गए। लगभग 12:30 बजे, अभियोक्त्री की मौसी (अ.सा.–4), माता (अ.सा.–5) एवं अन्य परिजन वहाँ पहुँचे, उसे मुक्त कराया तथा थाना ले गए। प्रारंभ में भयवश अभियोक्त्री ने घटना का प्रकटीकरण नहीं किया, जिस पर पुलिस ने उसे चाइल्डलाइन, जशपुर के सुपुर्द कर दिया, जहाँ उसने संपूर्ण घटना का विवरण दिया। तत्पश्चात उसे बाल कल्याण गृह भेजा गया, जहाँ आगे की पूछताछ में उसने विधि से संघर्षरत बालक द्वारा किए गए लैंगिक उत्पीड़न का खुलासा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री के कथन के आधार पर, थाना जशपुर में अपराध क्रमांक 108/15 ,भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 व 376 तथा पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के पिता की सहमति प्राप्त की गई, अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया, घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा विद्यालय अभिलेखों से उसकी आयु का सत्यापन किया गया। विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि उसने घटना के पश्चात अभियोक्त्री को अपीलार्थी के निवास में छिपाकर रखा था। फलस्वरूप, अपीलार्थी को भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन अभिरक्षा में लिया गया।

अपीलार्थी पर भा.दं.सं. की धारा 368 के अधीन आरोप विरचित किए जाने पर उसने आरोपों से इंकार किया और स्वयं को झूठा फँसाया जाने का दावा किया। अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में कुल 18 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलार्थी का कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने पुनः अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया।

मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक् विवेचना करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उक्त अपराध का दोषी पाया और उपर्युक्तानुसार दण्डादेश अधिरोपित किया। उक्त दोषसिद्धि एवं

दण्डादेश से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है।

2. (क) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पूरजोर तर्क किया कि अपीलार्थी को वर्तमान प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने यह तर्क किया कि वास्तव में मुख्य आरोप विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध हैं और भा.दं.सं. की धारा 368 के अधीन अपराध के आरोप को छोड़कर, अपीलार्थी के विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका साबित नहीं हुई है। यह तर्क किया गया कि अपीलार्थी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अभियोक्त्री को कथित व्यपहरण के पश्चात उसके निवास पर लाया गया। इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री के स्वयं के कथन का भी अवलंब लिया गया, जिसमें यह प्रकट हुआ कि उसका विधि से संघर्षरत बालक के साथ प्रेम संबंध था। अधिवक्ता के अनुसार, यह तथ्य संकेत करता है कि अपीलार्थी को यह नहीं पता था कि उसे ऐसे परिस्थितियों में उसके घर लाया गया जो व्यपहरण की श्रेणी में आते हों।

(ख) अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क किया कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास और असंगतताएँ हैं, जो प्रकरण की मूलभूत प्रकृति को प्रभावित करती हैं और अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह डालती हैं। उन्होंने यह भी तर्क किया कि लैंगिक उत्पीड़न के आरोप केवल विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध हैं, और अपीलार्थी पर बलात्संग या लैंगिक कदाचार का कोई आरोप नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी भी चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट में अपीलार्थी की कथित लैंगिक उत्पीड़न या अपराध में सक्रिय भूमिका का उल्लेख नहीं है। अधिवक्ता ने अपीलार्थी के दोषमुक्ति प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय का समर्थन किया तथा यह तर्क किया कि अभियोजन ने अकाट्य एवं विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से अपीलार्थी के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी के कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दायित्व आकृष्ट करते हैं, और इसलिए, अपील खारिज की जाए।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है एवं अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

5. अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, और इस न्यायालय के समक्ष अवधारणार्थ एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे सफलतापूर्वक स्थापित कर पाया है कि अपीलार्थी ने, अभियोक्त्री के व्यपहरण किए जाने की सचेतन जानकारी होते हुए, उसे अपने परिसर के भीतर सदोष छिपाया या परिरोध में रखा था, जिससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के प्रावधानों के अधीन दाण्डिक दायित्व बनता है।

6. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368, जो ऐसी परिस्थितियों में दाण्डिक उत्तरदायित्व के परिधि को निरूपित करती है, प्रावधान करती है कि:

> 368. व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है।

7. अभियोक्त्री (अ.सा.–10) ने अपनी मुख्य–परीक्षण में अभिसाक्ष्य दिया कि वह अपीलार्थी पंकज और विधि से संघर्षरत बालक दोनों से परिचित थी। दिनाँक 20.04.2015 को, वह अपने गाँव के एक व्यक्ति फंटूस के घर पर आयोजित 'छट्ठी' समारोह में अपनी सहेलियों के साथ शामिल हुई थी और वहाँ लगभग रात 8:30 बजे तक रुकी थी। समारोह स्थल से घर लौटने के दौरान, आम के पेड़ के पास विधि से संघर्षरत बालक ने उसे रोका, उसके साथ जबरदस्ती की और लैंगिक हमला किया। तत्पश्चात, विधि से संघर्षरत बालक उसे अपीलार्थी के निवास पर ले गया, जहाँ उसे पूरी रात परिरोध में रखा गया। अगली सुबह, दोनों विधि से संघर्षरत बालक और अपीलार्थी घर के बाहर ताला लगाकर चले गए। दोपहर के समय, अभियोक्त्री की माँ और चाची वहाँ पहुँचीं, अपीलार्थी से चाबी ली, कमरा खोला और उसे बरामद किया। इसके बाद, गाँव के सरपंच ने पुलिस को सूचित किया, जो अभियोक्त्री को जशपुर थाना ले गई। प्रारंभ में, भय के कारण उसने घटना का प्रकटीकरण नहीं किया, और अधिकारियों ने उसे चाइल्डलाइन भेज दिया, जिसने बाद में उसे बाल कल्याण गृह स्थानांतरित करने में सहायता की। वहाँ रहने के दौरान, उसने कर्मचारियों को घटनाओं का विवरण दिया और उसकी सहमति से, पुलिस ने जिला अस्पताल, जशपुर में उसकी चिकित्सकीय परीक्षण की व्यवस्था की, एक महिला चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रति–परीक्षण के दौरान, अभियोक्त्री ने स्वीकार किया कि विधि से संघर्षरत बालक टांगरा टोली में अपने चाचा और चाची के साथ रहता था और वह पहले भी उससे गाँव में मिल चुकी थी। उसने आगे यह स्वीकार किया कि विधि से संघर्षरत बालक 'छट्ठी' समारोह में मौजूद था, हालांकि उसने अपनी माँ को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त, उसने पुष्टि की कि वह फंटूस के आवास से अपनी सहेलियों के साथ घर लौटने के लिए निकली थी।

8. अ.सा.–4 अभियोक्त्री की चाची ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपने भाई से अभियोक्त्री के लापता होने की सूचना मिलने पर, वह तुरंत उसके साथ तलाश में शामिल हो गई। इस खोज के दौरान, वे विधि से संघर्षरत बालक से मिले, जिसने उन्हें अपीलार्थी के एक किराए के मकान की ओर निर्देशित किया। मकान शुरू में बंद था, किंतु अपीलार्थी से चाबी प्राप्त करने के बाद, वे भीतर प्रवेश करने में सफल रहे

और वहां अभियोक्त्री को पाया। अ.सा.–4 ने आगे साक्ष्य दिया कि उसे बाद में पता चला कि ताला अपीलार्थी और विधि से संघर्षरत बालक द्वारा संयुक्त रूप से लगाया गया था। उसकी उपस्थिति में, पुलिस ने जब्ती की कार्यवाही की, जिसमें अभियोक्त्री का निकर और अस्पताल से प्राप्त एक सीलबंद पैकेट कब्जे में लिया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर लिए गए। उसने कहा कि चाइल्डलाइन द्वारा की गई पूछताछ के दौरान, अभियोक्त्री ने खुलासा किया कि विधि से संघर्षरत बालक ने दिनाँक 21.04.2015 को उसे बलपूर्वक एक आम के पेड़ के नीचे खींचा था और बलात्संग किया था। अ.सा.–4 ने स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी की पहचान अभियोक्त्री को परिरोध में रखने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं कर सकती थी और उसने केवल विधि से संघर्षरत बालक के निर्देश पर चाबी देने वाले व्यक्ति के रूप में उसका नाम लिया था। उसने उन सभी सुझावों का खंडन किया कि उसकी उपस्थिति में कोई जब्ती कार्यवाही नहीं हुई थी या उसने अपीलार्थी को फंसाने के लिए झूठा परिसाक्ष्य दिया था।

9. अ.सा.–5 अभियोक्त्री की माँ ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह विधि से संघर्षरत बालक के बारे में जानती थी और उसने पुष्टि की कि अभियोक्त्री उसकी पुत्री है। 20–21 अप्रैल की रात को, अभियोक्त्री गाँव में फंटूस के घर एक समारोह में गई थी किंतु घर नहीं लौटी। रात भर और अगली सुबह तलाश करने के बावजूद, वह अपनी पुत्री का पता नहीं लगा सकी। अ.सा.–5 के पति ने अपनी भाभी (अ.सा.–4) को सूचित किया, जो खोज में उनके साथ शामिल हो गई। उन्हें पता चला कि विधि से संघर्षरत बालक भी अपने आवास से अनुपस्थित था। जुरगुम बैरियर के पास पूछताछ करने पर, विधि से संघर्षरत बालक ने खुलासा किया कि अभियोक्त्री एक विशिष्ट घर के कमरे में बंद थी, जिसकी उसने पहचान की। चाबी से घर का ताला खोलने पर, उन्होंने अभियोक्त्री को सोते हुए पाया और उसे घर ले आए। अ.सा.–5 ने आगे साक्ष्य दिया कि गाँव के सरपंच को सूचित किया गया, जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया। चूंकि उसने प्रारंभ में पुलिस को घटना के बारे में बताने से परहेज किया था, इसलिए चाइल्डलाइन अधिकारियों को बुलाया गया, और पूछताछ करने पर अभियोक्त्री ने बताया कि विधि से संघर्षरत बालक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, अनुचित कृत्य किए थे और उसे अपीलार्थी के घर में परिरोध में रखा था। अ.सा.–5 ने पुष्टि की कि जिस स्थान से अभियोक्त्री को बरामद किया गया था, वह वही था जिसका संकेत विधि से संघर्षरत बालक ने दिया था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रति–परीक्षण के दौरान, अ.सा.–5 ने स्वीकार किया कि विधि से संघर्षरत बालक मूल रूप से करदारी तिगरा का रहने वाला था, किंतु टांगरटोली में अपने चाचा और चाची के साथ रहता था। उसने स्वीकार किया कि घटना से पूर्व उसके परिवार और विधि से संघर्षरत बालक के नातेदारों के मध्य विवाद था। उसने अपनी पुत्री की विधि से संघर्षरत बालक के साथ मुलाकातों के बारे में किसी भी अफवाह से इनकार किया। अ.सा.–5 ने स्पष्ट किया कि वह फंटूस के घर समारोह में शामिल नहीं हुई थी क्योंकि वह काम पर थी और उल्लेख किया कि तलाशी के दौरान कुछ बालिकाओं ने उन्हें सूचित किया था कि अभियोक्त्री विधि से संघर्षरत बालक के साथ गई थी। उसने पुष्टि की कि जिस घर में

अभियोक्त्री मिली थी, वहाँ अन्य निवासी और पड़ोसी पास में ही थे। अ.सा.–5 ने उन सुझावों से इनकार किया कि चाबी किसी और के द्वारा दी गई थी या उसने विधि से संघर्षरत बालक को झूठा फंसाया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह चाइल्डलाइन अधिकारियों को अभियोक्त्री द्वारा दिए गए कथनों के संबंध में साक्ष्य नहीं दे सकती, क्योंकि वह उस समय उपस्थित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, उसने स्पष्ट किया कि न तो उसने और न ही उसके पति ने सीधे पुलिस से संपर्क किया था; प्रथम सूचना एक ग्रामीण द्वारा दी गई थी। उसने दोहराया कि विधि से संघर्षरत बालक ने चाबी के स्थान का संकेत दिया था, जिसका उपयोग कमरा खोलने और अभियोक्त्री को बरामद करने के लिए किया गया था, और विधि से संघर्षरत बालक को झूठा फंसाने के किसी भी आशय से इनकार किया।

10. अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.–12) ने अपनी मुख्य–परीक्षण में अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अभियोक्त्री को जानते हैं, जो उनकी पुत्री है और उसकी आयु लगभग 15 वर्ष है। 21 अप्रैल 2015 की रात को, अभियोक्त्री अपनी सहेलियों के साथ गाँव में सूरज के घर एक समारोह में शामिल होने गई थी। शाम लगभग 7 बजे, उनकी पत्नी ने उनसे अपनी पुत्री को घर लाने के लिए कहा। जब वे सूरज के घर गए, तो उन्हें सूचित किया गया कि अभियोक्त्री वहाँ नहीं है। उन्होंने रात भर गाँव और आस–पास के इलाकों में उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। अगली सुबह, लगभग 9:30 बजे, जब अभियोक्त्री का अभी भी पता नहीं चला, तो उन्होंने अपनी बहन (अ.सा.–4) को फोन किया और उसे सूचित किया। सुबह करीब 10 बजे, वह उनके घर आई और उन्होंने साथ मिलकर अभियोक्त्री की तलाश की लेकिन असफल रहे। उनकी पत्नी (अ.सा.–5) और उनकी बहन (अ.सा.–4) विधि से संघर्षरत बालक के घर पूछताछ करने गए, जहाँ उन्हें बताया गया कि विधि से संघर्षरत बालक भी पूरी रात घर पर नहीं था। साक्षी ने गाँव के एक बालक से विधि से संघर्षरत बालक के बारे में पूछा, और उस बालक ने सड़क पर उसकी ओर इशारा किया। इसके पश्चात, अ.सा.–4 ने विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ लिया और उससे अभियोक्त्री के बारे में पूछताछ की। विधि से संघर्षरत बालक ने उन्हें बताया कि अभियोक्त्री अपीलार्थी के घर में परिरुद्ध है। तत्पश्चात, अ.सा.–4 (उनकी बहन) और साक्षी की पत्नी (अ.सा.–5) अपीलार्थी के घर गईं, लेकिन वहां ताला लगा था क्योंकि अपीलार्थी नहाने गया था। उन्होंने उसके लौटने तक प्रतीक्षा की, और जब वह वापस आया, तो अ.सा.–4 ने चाबी माँगी। अपीलार्थी ने चाबी सौंप दी, और ताला खोलने पर अभियोक्त्री घर के भीतर मिली। अ.सा.–4 और अ.सा.–5 फिर अभियोक्त्री को घर ले आए।

साक्षी ने घटना की सूचना गाँव के सरपंच को दी, जिन्होंने बदले में पुलिस को सूचित किया। पुलिस घर आई और अभियोक्त्री को पुलिस थाने ले गई। साक्षी ने कथन किया कि वे उस समय अभियोक्त्री से पूछताछ नहीं कर सके। अभियोक्त्री को तीन दिनों तक चाइल्डलाइन में रखा गया, जहाँ पूछताछ के दौरान उसने प्रकट किया कि विधि से संघर्षरत बालक ने उसके साथ बलात्संग किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रति–परीक्षण के दौरान, साक्षी ने स्वीकार किया कि विधि से संघर्षरत बालक गाँव में अपने चाचा और चाची के साथ रहता था, हालांकि वह मूल रूप से दूसरे गाँव का था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके परिवार का विधि से संघर्षरत बालक के चाचा और चाची के साथ विवाद था। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि उनकी पुत्री और विधि से संघर्षरत बालक की पहले की मुलाकातों के बारे में अफवाहें थीं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्हें या उनकी पत्नी को ऐसी किसी मुलाकात की पूर्व जानकारी थी। उन्होंने इनकार किया कि वे समारोह की रात अभियोक्त्री की सहेलियों से मिले थे। उन्होंने आगे इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने घटना से पहले कभी विधि से संघर्षरत बालक को अपनी पुत्री से न मिलने की चेतावनी दी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि विधि से संघर्षरत बालक के चाचा का घर उनके अपने घर से लगभग 200 फीट की दूरी पर था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे व्यक्तिगत रूप से सुबह अपीलार्थी के घर नहीं गए थे क्योंकि उनकी बहन अ.सा.–4 ने उन्हें मना किया था। उन्होंने पुष्टि की कि अ.सा.–4 ने उन्हें बताया था कि अभियोक्त्री को विधि से संघर्षरत बालक द्वारा अपीलार्थी के कमरे में बंधक बनाया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पुत्री ने भी बाद में उन्हें यही तथ्य बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया कि चाबी अपीलार्थी के बजाय उसकी बहन द्वारा दी गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि उनके द्वारा बताए गए कुछ विवरण पुलिस को दिए गए उनके कथन में दर्ज क्यों नहीं थे। उन्होंने दोहराया कि यह विधि से संघर्षरत बालक ही था जिसने उन्हें सूचित किया था कि अभियोक्त्री अपीलार्थी के घर के अंदर है और अपीलार्थी से चाबी प्राप्त करने पर, अभियोक्त्री वास्तव में वहाँ से बरामद की गई थी। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि वे जानबूझकर अपीलार्थी को झूठा फंसा रहे हैं। साक्षी ने बताया कि उनके दो संतान हैं, जिनमें अभियोक्त्री बड़ी है। उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस को पहली सूचना राजकुमार द्वारा दी गई थी, जो गाँव के सरपंच भी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो जानते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को छिपाने या परिरोध में रखने में सहायता करता है जिसका व्यपहरण या अपहरण किया गया हो। इस अपराध को साबित करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं: पहली, यह कि अभियुक्त को ज्ञात था कि उस व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया गया था और दूसरी, यह कि अभियुक्त ने उस व्यक्ति को छिपाने या परिरोध में रखने में सक्रिय रूप से सहायता की थी। अभियोजन को इन दोनों बिंदुओं को युक्तियुक्त से परे साबित करना अनिवार्य है।

12. अभियोजन का प्रकरण मुख्य रूप से पीड़िता (अ.सा.–10), उसकी चाची (अ.सा.–4), उसकी माँ (अ.सा.–5) और उसके पिता (अ.सा.–12) के कथनों पर निर्भर करता है। पीड़िता ने कथन किया कि 20–21 अप्रैल 2015 की रात को, विधि से संघर्षरत बालक ने उसे एक आम के पेड़ के पास रोका और उसके साथ लैंगिक हमला किया, फिर उसे अपीलार्थी के घर ले गया और रात भर वहीं रखा। उसने यह भी कहा कि अपीलार्थी ने अगली सुबह उसकी चाची और माँ को घर की चाबी दी, जिससे उसे

बचाया जा सका। यद्यपि, प्रति–परीक्षण के दौरान, पीड़िता ने स्वीकार किया कि वह व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी की पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं कर सकती जिसने उसे परिरुद्ध रखा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह विधि से संघर्षरत बालक को पहले से जानती थी और उस शाम गाँव के समारोह में उससे मिली थी, जो बात उसने अपनी माँ को नहीं बताई थी। ये बिंदु उसके इस दावे को कमजोर करते हैं कि अपीलार्थी ने उसे परिरोध में रखने में सक्रिय रूप से सहायता की थी।

13. अ.सा.–4 और अ.सा.–5 ने इस बात की संपुष्टि की कि अभियोक्त्री को चाबी का उपयोग करके अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था, फिर भी उन्होंने लगातार इस बात पर बल दिया कि वह विधि से संघर्षरत बालक ही था जिसने पीड़िता के स्थान का खुलासा किया था। अ.सा.–4 ने अभिव्यक्ततः स्पष्ट किया कि उसने अपीलार्थी के नाम का उल्लेख केवल चाबी के संरक्षक के रूप में किया था, जैसा कि विधि से संघर्षरत बालक द्वारा बताया गया था। कोई भी साक्षी अपीलार्थी के ऐसे किसी आचरण की ओर संकेत नहीं कर सका जिससे अभियोक्त्री के व्यपहरण या बलपूर्वक परिरोध में रखे जाने की उसकी जानकारी साबित होती हो। इसके अतिरिक्त, दोनों साक्षियों ने पुष्टि की कि घर के सटे हुए हिस्सों में अन्य निवासी थे और वह पास के आवासों वाले पड़ोस में स्थित था, जो अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर छिपाने के किसी भी निष्कर्ष को कमजोर करता है। पीड़िता की माँ (अ.सा.–5) की प्रति–परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपीलार्थी के घर की चाबी संदीप नामक व्यक्ति के घर से प्राप्त की थी। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि उक्त चाबी अपीलार्थी के अनन्य कब्जे से बरामद नहीं की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अभियोक्त्री के पिता, अ.सा.–12 ने घटनाक्रम की पुष्टि की, जिसमें अ.सा.–4 और अ.सा.–5 द्वारा पीड़िता की बरामदगी में सहायता करना शामिल था, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि विधि से संघर्षरत बालक ने ही उन्हें चाबी के स्थान के बारे में बताया था। उन्होंने स्वीकार किया कि वह व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी द्वारा परिरोध में रखे जाने के किसी भी कृत्य के साक्षी नहीं थे और प्रश्नाधीन सुबह वे अ.सा.–4 के निर्देश पर अपीलार्थी के निवास पर नहीं गए थे। उन्होंने विधि से संघर्षरत बालक के नातेदारों के साथ पूर्व पारिवारिक विवादों के होने का भी खुलासा किया, जो कि विश्वसनीयता के बोध को प्रभावित करने वाला एक कारक हो सकता है। अ.सा.–12 ने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को झूठा फंसाने के किसी भी आशय से इनकार किया और पुष्टि की कि पुलिस को प्रारंभिक सूचना उनके या उनके परिवार के बजाय एक ग्रामीण और सरपंच द्वारा दी गई थी।

15. संपूर्ण साक्ष्यों को देखने पर यह स्पष्ट है कि पीड़िता के साथ हमला, अपहरण और उसे परिरोध में रखने के लिए मुख्य रूप से किशोर ही जिम्मेदार था। अपीलार्थी की कथित संलिप्तता केवल कमरे की चाबी देने तक सीमित थी। ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि घटना के समय अपीलार्थी को अपराध के विषय में जानकारी थी। ऐसा कोई स्वतंत्र प्रमाण भी नहीं है कि उसका आशय अपराध में सहायता करने का था। अपीलार्थी पर आरोप लगाने के लिए केवल विधि से संघर्षरत बालक

के कथनों पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से बिना किसी अन्य साक्ष्य के जो यह दिखाए कि अपीलार्थी ने जानते हुए पीड़िता को छिपाया था।

16. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सरल परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, और विशेष रूप से अभियोक्त्री का कथन, यह दर्शाता है कि बलात्संग कारित करना और व्यपहरण के वास्तविक कृत्य स्वयं विधि से संघर्षरत बालक द्वारा पूर्ण किए गए थे। यहाँ अपीलार्थी ने केवल एक कमरा उपलब्ध कराने की सहायता प्रदान की थी, लेकिन अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें अभियोक्त्री का कथन भी शामिल है, जो यह दर्शाता हो कि विधि से संघर्षरत बालक ने कभी अपीलार्थी को इस तथ्य के बारे में सूचित किया था कि अभियोक्त्री का व्यपहरण किया गया है और उसे उसके घर लाया गया है

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सरोज कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, (1973) 3 एससीसी 669** के प्रकरण की कण्डिका 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> 10. धारा 368 के अधीन अपराध के गठन हेतु,यह आवश्यक है कि अभियोजन निम्नलिखित घटकों को स्थापित करे:
>
> (1) संबंधित व्यक्ति का व्यपहरण किया गया है।
>
> (2) अभियुक्त को यह ज्ञात था कि उक्त व्यक्ति का व्यपहरण किया गया था।
>
> (3) यह जानते हुए,अभियुक्त संबंधित व्यक्ति को सदोष छिपाता है या परिरोध में निरुद्ध रखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ओम प्रकाश विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2011) 14 एससीसी 309** के प्रकरण की कण्डिका 30 व 31 में यह अभिनिर्धारित किया है कि:

> "30. **सरोज कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य** के प्रकरण में, इस न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन अपराध के घटकों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि जब संबंधित व्यक्ति का व्यपहरण किया गया हो, अभियुक्त को यह ज्ञात था कि उक्त व्यक्ति का व्यपहरण किया गया था और ऐसी जानकारी होने पर अभियुक्त संबंधित व्यक्ति को सदोष छिपाता है या परिरोध में निरुद्ध रखता है, तब धारा 368 भारतीय दण्ड संहिता के घटकों की संतुष्टि हुई मानी जाती है।
>
> **31.** अभियोजन के साक्ष्य और विशेष रूप से अभियोक्त्री के कथन से यह ज्ञात होता है कि बलात्संग के आशय से व्यपहरण करने का कृत्य और अभियोक्त्री के साथ बलात्संग का वास्तविक कृत्य स्वयं जय प्रकाश द्वारा पूर्ण किया गया था। अपीलार्थी ने कमरा उपलब्ध कराने की सहायता प्रदान की थी, किंतु अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें

अभियोक्त्री का कथन भी शामिल है, जिससे यह ज्ञात हो कि उसने जय प्रकाश को अपीलार्थी से यह कहते हुए सुना हो कि उसने उसका व्यपहरण किया है और/या अपीलार्थी को इस तथ्य की कोई जानकारी थी कि उसका व्यपहरण किया गया था। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जय प्रकाश ने अपीलार्थी को यह बताया हो कि वह स्वेच्छा से आई है और बिना किसी विरोध के 15–20 किमी की लंबी दूरी तय की है, और यह तर्क अयुक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। जैसा कि देखा गया है, अभियोक्त्री के अनुसार, वह भयभीत थी, किंतु अभियोजन से यह अपेक्षा की गई थी कि वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे जिससे यह साबित हो सके कि व्यपहरण के तथ्य के साथ–साथ बलात्संग करने के आशय की जानकारी अपीलार्थी को या तो सीधे तौर पर थी या कम से कम परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के माध्यम से थी।"

19. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन, विधि यह अपेक्षा करता है कि अभियुक्त को स्पष्ट रूप से यह ज्ञात होना चाहिए कि व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया गया था और उसने जानबूझकर उन्हें छिपाने या परिरोध में रखने में सहायता की हो। अवैध निरोध की जानकारी के बिना, केवल कमरे तक पहुँच प्रदान करने जैसा कृत्य करना, इस विधिक आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। कृत्य और आशय दोनों का साबित होना अनिवार्य है। यहाँ, साक्ष्यों से स्पष्ट है कि व्यपहरण, हमला और परिरोध में रखने का कार्य विधि से संघर्षरत बालक द्वारा किया गया था, और अपीलार्थी की कोई आपराधिक जानकारी या आशय नहीं था। इन परिस्थितियों में उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन उत्तरदायी ठहराना अनुचित होगा, क्योंकि विधि किसी व्यक्ति को केवल उपस्थित होने या अनजाने में सहायता करने के लिए दंडित नहीं करता है। यह नियम लोगों को अन्यायपूर्ण आपराधिक दायित्व से बचाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने केवल कमरे की चाबी दी थी। ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि उसे ज्ञात था कि पीड़िता का व्यपहरण किया गया था या उसे वहाँ बलपूर्वक रखा गया था। अ.सा.–4, अ.सा.–5 और अ.सा.–12 के कथन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विधि से संघर्षरत बालक ने ही हमले और परिरोध में रखने की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, जबकि अपीलार्थी ने बिना किसी अवैध गतिविधि की जानकारी के, केवल सहायता की थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उसका कोई आवश्यक आशय था या उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन अपराध में भाग लिया था। चूंकि अभियोजन इसे युक्तियुक्त से परे साबित नहीं कर पाया है, इसलिए दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता। अतः,अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 368 के अधीन आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है, और दिनांक 11/01/2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के पूर्व निर्णय को **अपास्त** किया जाता है।

21. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, यह अपील **स्वीकार** की जाती है। आक्षेपित निर्णय को अभिखण्डित किया जाता है, तथा अपीलार्थी को समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर है, और दण्डादेश के निलंबन के समय प्रस्तुत किए गए प्रतिभूति और व्यक्तिगत बंधपत्र, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के अनुसार छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

22. विचारण न्यायालय के अभिलेख, इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित, अनुपालन और आवश्यक समझी जाने वाली अग्रिम कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित किए जाए।

सही/–

(बिभु दत्त गुरु)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur